"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 295] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2013—आषाढ़ 25, शक 1935

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई, 2013 (आषाढ़ 25, 1935)

क्रमांक-8774/वि.स./विधान/2013.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 19 सन् 2013) जो मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई, 2013 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 19 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013

छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 (क्रमांक 15 सन् 1996) को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहलायेगा.

(2) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे.

धारा 2 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 (क्र. 15 सन् 1996) की धारा 2 के खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ग) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए "अल्पसंख्यक" से अभिप्रेत है,—

(एक) केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का 19) के प्रयोजन के लिए इस रूप में अधिसूचित किया गया कोई समुदाय, या

(दो) राज्य सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित किया गया कोई समुदाय."

उद्देश्य और कारणों का कथन

यत:, भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 द्वारा भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार दिया गया है तथा अनुच्छेद 30 के द्वारा धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार दिया गया है.

यत:, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (क्रमांक 19 सन् 1992) की धारा 2 के खण्ड (ग) के द्वारा तथा राज्य सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 (क्रमांक 15 सन् 1996) की धारा 2 के खण्ड (ग) के द्वारा केन्द्रीय सरकार को किसी समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान की गई है. इन शक्तियों के प्रयोग में, केन्द्रीय सरकार ने मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी समुदायों को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया है.

अतएव, छत्तीसगढ़ राज्य में धार्मिक समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित करने के प्रयोजन से, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 (क्रमांक 15 सन् 1996) की धारा 2 के खण्ड (ग) को संशोधित करना प्रस्तावित है, जिसके द्वारा राज्य शासन को केन्द्रीय सरकार के साथ-साथ किसी भी समुदाय को राज्य के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित करने की शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर
दिनांक 6 जुलाई, 2013

केदारनाथ कश्यप
आदिमजाति विकास मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 (क्रमांक 15 सन् 1996) की जिस धारा में संशोधन किया जाना है उनके सुसंगत उद्धरण,

* * * * * * * * * * * * * *

2 (ग) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये अल्पसंख्यक से अभिप्रेत है केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का सं. 19) के प्रयोजन के लिये इस रूप में अधिसूचित किया गया समुदाय.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.